संख्या-2/2020/एस-338/38-2-2019-1ब(टी)/2017

प्रेषक,

अच्छे लाल सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 21 जनवरी, 2020**

विषयक :- दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत मोटर गाड़ियों के क्रय में प्रावधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-266/वाहन/निष्प्रयोज्य/2013-14, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 हेतु अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-05-कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान)-14-मोटर गाड़ियों का क्रय मद में प्रतिस्थापन के आधार पर 04 नये वाहन (बुलोरो वाहन) के क्रय में सुसंगत इकाइयों से सम्बन्धित होने वाले व्यय को वहन करने हेतु धनराशि रू0 28.00 लाख (रूपये अट्ठाईस लाख मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-2 के वाहन क्रय संबंधी शासनादेशों तथा परिवहन विभाग द्वारा वाहन क्रय हेतु निर्गत संगत शासनादेशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के नये जी0ई0एम0 पोर्टल के अनुसार न्यूनतम दरों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी की धनराशि राजकोष में निर्धारित मद में जमा कर दी गयी है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय केवल प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन क्रय मद में किया जायेगा किसी अन्य मद में किया गया व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(5) प्रश्नगत वाहन हेतु अनुमन्य/स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में कियाजाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा मितव्ययिता के दृष्टिगत वाहन की नितांत आवश्यकता/अपरिहार्यता होने पर ही प्रतिस्थापन आधार पर वाहन का क्रय किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत क्रय हेतु वाहन की गुणवत्ता, विशिष्टियों एवं वरीयता को सुनिश्चित करने का समस्त उत्तरदायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) उक्त वाहन का क्रय किसी अन्य योजना से न किया गया हो अर्थात् क्रय की कार्यवाही की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) न हो।

2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उक्त शासनादेश में दिये गये अन्य दिशा-निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों को ध्यान में रखकर ही किया जाय तथा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अनुदान संख्या-13 केलेखाशीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-05-कर्मचारियोंका प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान)-14-मोटर गाड़ियों का क्रय के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू0ओ0-ई-2-37/X-2020, दिनांक 20.01.2020 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अच्छे लाल सिंह यादव
विशेष सचिव।

संख्या-2/2020/ एस-338(1)/38-2-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/2
6- ग्राम्य विकास अनु0-3
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।